(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

हंसराज आदि बनाम आसाराम वगैरा

किस्म मुकदमाः–53,209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–185/2022

GCMS:- 2022/275

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 06.04.2026	

दिनांक 06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वाद पत्र का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/8 के पिता पुरखा पुत्र जीयाराम के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 263/61 के पत्थर नं. 164/451 (213) के किला नं. 10 ता 13, 18 ता 23 की 2.530 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 164/452 (228) के किला नं. 1 ता 3, 9, 10 की 1.265 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 165/451 (214) के किला नं. 6, 14 ता 17, 24, 25 की 1.771 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 165/452 (227) के किला नं. 4 ता 6/0.759 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 165/456 (311) के किला नं. 20, 21/2, 22/2 की 0.709 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 165/457 (338) के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 20 की 2.277 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 166/456 (310) के किला नं. 14 ता 19, 22/2, 23/2, 24/1, 25/2 की 2.430 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 166/457 (339) के किला नं. 3 ता 6, 15 की 1.265 हैक्टर इस प्रकार कुल 13.006 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खाता की भूमि का बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब रास्ता, खाला की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए खाता विभाजन करवाना चाहते है। रकबा संयुक्त खाता का होने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये वाद वादी स्वीकार किया जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1,2, 4 ता 6, 8/1/1 ता 8/1/5, 8/8/1 ता 8/8/3 की ओर से वकील श्री मूलचन्द शर्मा एवं प्रतिवादी सं. 8/2 ता 8/6, 8/7/1 ता 8/7/3 की ओर से वकील श्री पालाराम सुथार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 3–7–9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 10 की ओर से वकील श्री ओमसिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 8/1 ता 8/6, 8/7/1 ता 8/7/3, 8/8/1 ता 8/8/3, 10 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1,2, 4 ता 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 8/1/1 ता 8/1/5 का जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्य वादी में वादीगण ने साक्ष्य वादी में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नही करने पर जिरह बंद कर साक्ष्य वादी बंद किये जाकर साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या–2 ने उपस्थित होकर बयान शपथ प्रस्तुत किये। जिस पर जिरह शून्य रही। साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाकर बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के नाम से चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 263/61 की 13.006 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] खाता का रकबा होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये वाद [illegible] स्वीकार किया जाकर मुताबिक कब्जा काश्त डिक्री जारी की जावे। वकील प्रतिवादीगण ने भी जवाब दावा को दोहराते हुए मुताबिक कब्जा काश्त दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन [illegible] एवं पत्रावली का गहन[illegible] से अवलोकन किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नाम से चक 4 बी.के. एस.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 263/61 की 13.006 हैक्टर अ0क0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद पत्र में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 06.04.2026

वकील द्वारा अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। किन्तु प्रकरण में वाद पत्र में वादी द्वारा अच्छी में से अच्छी में व खराब में से खराब व खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन करने का अनुतोष चाहा है तथा सभी पक्षकार भी उपस्थित नही है। इसलिये वाद पत्र में वादीगण व प्रतिवादी–1 ता 8 के नाम जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व अच्छी में से अच्छी खराब में से खराब एवं मौका पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है। इसलिये संयुक्त खाता की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण–1 ता 8 के मध्य जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व अच्छी में से अच्छी खराब में से खराब एवं मौका पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नाम से संयुक्त खाता की वादाधीन भूमि चक 4 बी.के.एस. एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 263/61 की 13.006 हैक्टर अ0क0 भूमि का जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं अच्छी में से अच्छी, खराब में से खराब, रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा मौका पर कब्जा काश्त को भी ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार रूपये मात्र वादीगण द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:53 IST
Reason: SelfAttested

(भारत जयप्रकाश मीना)आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: प्राथमिक परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.हसंराज पुत्र खेमाराम जाति सुथार निवासी गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2.उदाराम पुत्र घेरूराम जाति सुथार निवासी गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1.आसाराम पुत्र खेमाराम
2.औमप्रकाश पुत्र घेरूराम
3.कमला देवी पुत्री खीयाराम
4.डालू पुत्र जीयाराम
5.प्रेमाराम पुत्र खीयाराम
6.राजाराम पुत्र खीयाराम
7.हरीराम पुत्र खीयाराम
} जाति सुथार निवासी गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

8.पुरखाराम पुत्र जीयाराम जाति सुथार साकिन गुडली तहसील सूरतगढ़ (फौत) जरिये वारिस
8/1 लिखमाराम पुत्र पुरखाराम फौत
8/1/1 पानादेवी पत्नी लिखमाराम
8/1/2 लालचन्द पुत्र लिखमाराम
8/1/3 हनुमान पुत्र लिखमाराम
8/1/4 धापा पुत्री लिखमाराम
8/1/5 विमला देवी पुत्री लिखमाराम
} पुत्र पुरखाराम जाति सुथार साकिन गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

8/2 लेखराम पुत्र पुरखाराम
8/3 इन्द्राज पुत्र पुरखाराम
8/4 बहादुरराम पुत्र पुरखाराम
8/5 सरबती पुत्री पुरखाराम
8/6 प्रमेश्वरी पुत्री पुरखाराम
} जाति सुथार निवासी गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

8/7 केसर पुत्री पुरखाराम (फौत)
8/7/1 तेजाराम पुत्र केसर पत्नी फरसाराम
8/7/2 उर्मिला पुत्री केसर पत्नी फरसाराम
8/7/3 सन्तोष पुत्री केसर पत्नी फरसाराम
} जाति सुथार निवासी हिजरासर तहसील सूरतगढ़

8/8 आसादेवी पुत्री पुरखाराम पत्नी कालूराम (फौत)
8/8/1 विद्यादेवी पुत्री आसीदेवी पत्नी कालूराम
8/8/2 पन्नालाल पुत्र आसीदेवी पत्नी कालूराम
8/8/3 पालाराम पुत्र आसीदेवी पत्नी कालूराम
}

9.शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, श्रीविजयनगर
10.शाखा प्रबन्धक, ओ.बी.सी. बैंक वर्तमान पी.एन.बी. बैंक शाखा, रघुनाथपुरा
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 185 वर्ष 2022 (GCMS No. 2022/275) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री कमलदत्त शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री मूलचन्द शर्मा, श्री संजय सैन, श्री पालाराम सुथार व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नाम से संयुक्त खाता की वादाधीन भूमि चक 4 बी.के.एस.एस. [illegible] 2071 ता 74 के खाता संख्या 263/61 की 13.006 हैक्टर अ0क0 भूमि का जमाबन्दी [illegible] हिस्सा एवं अच्छी में से अच्छी, खराब में से खराब, रास्ता, खाला की सुविधा [illegible] मौका पर कब्जा काश्त को भी ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता [illegible] हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसील [illegible] को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार रूपये मात्र वादीगण द्वारा [illegible] सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर 15 [illegible] में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 06/04/2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 1?:22:53 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)